मनजीत सिंह **बनाम** जगसीर सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 45 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/132

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.06.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मूलवाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादगत भूमि पैतृक भूमि है, जिससे हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 13 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 62/49 जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 जगसीर सिंह के नाम दर्ज 0.542 हैक्टेयर भूमि ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	